न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी श्रीमती भावना सिंह (आर0ए0एस0)

पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 16/2021
दायर दिनांक :– 09/02/2021
निर्णय दिनांक :– 17.02.2022

उनवान

1. लक्ष्मीशंकर पिता माधवलाल जाट निवासी मुरला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. भूरीदेवी पुत्री दलीचन्द जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. कालीबाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

राजस्व वाद अंतर्गत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :– 1. श्री लक्ष्मीशंकर जाट
2. श्री नारायण जाट

–:निर्णयः :–

वकील वादी की ओर से एक वादपत्र बाबत् बंटवाडा आराजियात अंर्तगत धारा–53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पेश किया । जिसके संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है:–

यह है कि मौजा रावतिया पटवार हल्का भूपालसागर तहसील भूपालसागर के हल्के बेरूनी मे वादी व प्रतिवादीगण संख्या 01 व 02 की संयुक्त खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात खाता सं. 246 में दर्ज आ.न. 1060, 1270, 1271, 1279 कुल किता 4 कुल रकबा 0.77 हैक्ट. .स्थित है जिसमें वादी का हिस्सा व हक है जिसका मौके पर पक्षकारान द्वारा मौखिक बंटवाडा किया हुआ है लेकिन कानूनन बंटवाड़ा नहीं हो रखा है जिससे पक्षकारान के मध्य आराजी बोने, लगान जमा कराने बाबत विवाद रहता है। वादी ने जरिये बंटवाडा डिक्री करवानें हेतु निवेदन किया है। इस लिए वादी को वादग्रस्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा करवाने का पूर्ण अधिकार है। इस बाबत् प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर उक्त आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा हेतु प्राथमिक डिक्री इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 27.07.2021 के द्वारा तहसीलदार भूपालसागर को बंटवाड़ा प्रस्ताव मौके पर जाकर बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस तैयार कर न्यायालय में भिजवानें हेतु भेजा गया। उक्त बंटवाड़ा प्रस्ताव पर वकील वादी एवं वकील प्रतिवादी की बहु पक्षीय बहस सुनी गयी। वकील वादी की बहस व बंटवाड़ा रिपोर्ट के अनुसार निम्नानुसार भूमि बंट में रखी जाकर राजस्व रेकार्ड में इंद्राज करने के आदेश दियें जाते है। फर्द मौका व बंटवाड़ा प्रस्ताव निर्णय का भाग रहेगा–

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	लक्ष्मीशंकर पुत्र माधवलाल जाट निवासी मुरला	1270 1271	0.13 है. 0.14 है.
2	कालीबाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी रावतिया हिस्सा 77/100 भूरीदेवी पुत्री दलीचन्द जाट निवासी रावतिया हिस्सा 23/100	1060 12[illegible]	0.32 है. [illegible]18 है.

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.18 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

इस आशय की अंतिम डिक्री जारी होकर तहसीलदार भूपालसागर को [illegible] रेकार्ड में इंद्राज हेतु भेजी जावें। इस बाबत् पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 17.02.2022 को लिखा जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला–चित्तौड़गढ़

(भावना सिंह)
सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर
जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

अंतिम डिक्री बमुकदद्मे इब्तदाई

(आर्डर 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारीं भूपालसागर

पीठासीन अधिकारी :— श्रीमती भावना सिंह. (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :— 16/2021
दायर दिनांकः— 09/02/2021
निर्णय दिनांकः— 17.02.2022

उनवान

1. लक्ष्मीशंकर पिता माधवलाल जाट निवासी मुरला तहसील भूपालसागर

वादी

बनाम

1. भूरीदेवी पुत्री दलीचन्द जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
2. कालीबाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी रावतिया तहसील भूपालसागर
3. तहसीलदार भूपालसागर जिला चित्तौड़गढ़

प्रतिवादीगण

बाबत् राजस्व वाद अर्न्तगत धारा—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 यह आज मुकद्मा वास्ते इनकिलास किलई रूबरू वादी का वाद अर्न्तगत धारा—53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 का पूर्व में स्वीकार किया जाकर राजस्व वाद संख्या 16/2021 में निर्णय एवं प्राथमिक डिक्री जारी की गयी थी। तत्पश्चात तहसीलदार भूपालसागर से बंटवाड़ा प्रस्ताव प्राप्त होनें पर अंतिम डिक्री पक्षकारानों के वकील को सुन कर जारी की जाती है। जिसमें बंटवाडा प्रस्ताव अनुसार काश्तकारों के बंट (हिस्से) मे निम्न सारणी अनुसार भूमि हिस्से में रखी जाती हैः—

क्र.सं	काश्तकार	आ.न.	रकबा
1	लक्ष्मीशंकर पुत्र माधवलाल जाट निवासी मुरला	1270 1271	0.13 है. 0.14 है.
2	कालीबाई पत्नी मोहनलाल जाट निवासी रावतिया हिस्स 77/100 भूरीदेवी पुत्री दलीचन्द जाट निवासी रावतिया हिस्सा 23/100	1060 1279	0.32 है. 0.18 है.

यह अंतिम डिक्री आज दिनांक 17.02.2022 को मेरे हस्ताक्षर और न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर, जिला—चित्तौड़गढ़

(भावना सिंह)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
भूपालसागर

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर (राज.)

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रूपया		रूपया
8. वाद पत्र के लिए स्टाम्प	-	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-
9. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	-	अर्जी के लिए स्टाम्प	-
10. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प	-	प्लीडर की फीस	-
11. .... रूपये पर प्लीडर की फीस	-	साक्षियों के लिए निर्वाह-[illegible]	-
12. साक्षियों के लिए निर्वाह—व्यय	-	आदेशिका की तामिल	-
13. कमिश्नर की फीस	-	कमिश्नर की फीस	-
14. आदेशिका की तामिल	-		
जोड	-	जोड	-

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhawna Singh
Date: 2022.02.18 17:28:49 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी भूपालसागर